आदेश ब इजलास राजन विशाल आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 130/2022 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

आई सी आई सी आई बैंक लिमिटेड पता तृतीय तल, जे एस ई एल बिल्डिंग, मालवीय नगर, जयपुर।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री अनुप कुमार अग्निहोत्री,
2. श्रीमती दिक्षा शर्मा

   पता :– फ्लेट नम्बर 204, द्वितीय तल, आशियाना अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर डी–29, शान्ति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर।

   एवं 105–डी–29, शान्ति पथ, पत्रकार कॉलोनी, तिलक नगर, जयपुर।

   एवं मैसर्स एंजल मार्केटिग, प्लॉट नम्बर 391, गली नम्बर 2, पार्वती मार्ग, राजापार्क, जयपुर।
3. श्री इन्द्रेश कुमार शर्मा

   पता :– फ्लेट नम्बर 204, द्वितीय तल, आशियाना अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर डी–29, शान्ति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर।

   एवं डी–29, 105 आशियाना अपार्टमेंट, जवाहर नगर पुलिस स्टेशन के पास, पत्रकार कॉलोनी, शान्ति पथ, जयपुर।
4. मैसर्स एंजल मार्केटिग

   पता :– 391/2, पार्वती मार्ग, राजापार्क, जयपुर।

   एवं फ्लेट नम्बर 204, द्वितीय तल, आशियाना अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर डी–29, शान्ति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर।

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002

उपस्थितः–

1. श्री विनोद खाण्डल अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से ।

आदेश **दिनांक 09.06.2022**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 11.04.2016 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्री अनुप कुमार व श्री इन्द्रेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 204, द्वितीय तल, आशियाना अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर डी–29, शान्ति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट को बन्धक रखकर कुल राशि 46,61,000/– एवं 20,22,000/– कुल राशि 66,83,000/– रूपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 08.07.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने, The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्याय हित में अप्रार्थी ऋणियों को सूचना पत्र जारी किये गये। अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ है।

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थीगणों को 66,83,000/– रूपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिभूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि मय ब्याज कुल राशि 66,79,945/–रूपये जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 08.07.2019 को अधिनियम की धारा 13 (2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जबाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रूपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक रखी गई सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है। अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है।

5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act.2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष अप्रार्थी श्री अनुप कुमार व श्री इन्द्रेश कुमार शर्मा के स्वामित्व की सम्पति फ्लेट नम्बर 204, द्वितीय तल, आशियाना अपार्टमेंट, प्लॉट नम्बर डी–29, शान्ति पथ, पत्रकार कॉलोनी, जयपुर क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

6. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे की उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करें एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 09.06.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

09/06/22

(राजन विशाल)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर